2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 266 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम, पता ग्राम सरेंचा बस स्टेण्ड के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11..20 में उसके द्वारा (1) दिनांक 06.10.2020 को ग्राम पंचायत सरेचां प0स0 लूणी के सरपंच पद एवं वार्डपंच हेतु प्रस्तुत नामांकन प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1199 दिनांक 3.12.2020 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मय प्रत्युत्तर बिन्दुवार इस कार्यालय के पत्रांक एफ 37(7)( )निर्वा. /आरटीआई–318 / 2020 / 1110 दिनांक 21.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अपर कलक्टर जोधपुर को भिजवाई जा चुकी है। इस कार्यालय स्तर पर प्रार्थी को सूचना देना शेष नहीं है। चूंकि जिला निर्वाचन कार्यालय (कलक्टर) जोधपुर द्वारा सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	